PBR/निगरानी/शाजापुर/भू-रा/2017/2173

(2)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक पी.बी.आर. / निग. / शाजापुर / भू.रा. / 2017 /

श्री लाखन सिंह द्वारा आज दि. 12.7.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12.7.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1— सलीम खॉ पुत्र गुलाब खॉ

2— हकीम खॉ पुत्र वजीर खॉ

3— अजीज खॅान पुत्र मुंशी खॉ

4— रमजान खॅान पुत्र रहीम खॉ

5— सत्तार खॉ पुत्र मुंशी खॉ

समस्त निवासीगण— ग्राम मुल्लाखेडी, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.)

.............आवेदकगण

बनाम

Lakhan Singh Dhakar
Advocate
12/07/17

1— सद्दाम बेग पुत्र आरिफ बेग निवासी— ग्राम मुडलाय, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर (म.प्र.)

2— फारूख खॉ पुत्र अहमद नूर खॉ निवासी ग्राम मुल्लाखेडी, तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय शाजापुर जिला शजापुर के प्रकरण क्रमांक 84 / 16—17 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.6.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/2173 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.8.2017	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 12–4–17 एवं 20–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी के अन्य शासकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी पेशी नियत की गई है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	